2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जगदीश विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 09/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जगदीश विश्नोई, पता खिलेरी कृषि फार्म, बाईपास रोड़, चौहटन जिला बाड़मेर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.11.17 में उसके द्वारा (1) नया राशन कार्ड बनाना है तो उसके लिए जिस जिस दस्तावेज की आवश्यकता है की सूचना व अन्य 8 बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	